defaults which are not covered by the stay order. Further action will be taken after the expiry of the notice period.

20-सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन

1064. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
डा. बापू कालदाते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत धन का सदुपयोग करने के लिये सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या निवारक उपाय किये गये हैं कि ग्रामीण लोगों को बैंक का ऋण सुविधाजनक ढंग से प्राप्त हो और उनके ऋणों को बैंक कर्मचारियों तथा अन्य बिचौलियों द्वारा हड़पे जाने से रोका जा सके;

(ग) इस कार्य में जनता की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है या क्या सरकार इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ने का विचार रखती है; और

(घ) बिहार में 20-सूत्री कार्य-क्रम के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से प्रत्येक जिले के लिए बनाई गई जिला ऋण आयोजनाओं/वार्षिक कार्यवाई आयोजनाओं के अंतर्गत नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन तैयार की गई सभी बैंक योग्य/अर्थक्षम योजनाओं को समन्वित करने के लिए कहा है । अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत स्थापित जिला परामर्शदात्री समितियों द्वारा, जिनकी समय-समय पर बैठकें होती हैं, जिला ऋण आयोजनाओं/वार्षिक कार्यवाई आयोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे ऋणकर्ताओं को सरल प्रादेशिक भाषा में ऋण आवेदन फार्म उपलब्ध कराएंगे, जिनमें मार्जिन और ज़मानत के मापदण्ड आदि सहित शर्तों का ब्यौरा दिया गया होगा । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले अग्रिमों के बारे में बिचौलियों और मध्यवर्ती व्यक्तियों से बड़ी सावधानी से बचा जाना चाहिये । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अग्रिमों के सम्बन्ध में, बैंकों से यह कहा गया है कि वे किसी विशेष ब्रांड अथवा किसी विशेष डीलर से परिसम्पत्तियां खरीदे जाने पर जोर न दें । अप्रैल, 1986 से आजमाईश के तौर पर देश के चुने हुए कुछ खण्डों में शुरू की गई प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ गतिविधियों के बारे में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को आर्थिक महायता और ऋण की रकमों का सीधे ही नगद भुगतान किया जाएगा । वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों में बार-बार जाने की असुविधा से बचने के लिए और कदाचार को कम करने तथा बैंकों के उच्च-स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण को आसान बनाने के लिए बैंकों से यह कहा गया है कि ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं को चाहिए कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणकर्त्ताओं को प्रत्येक महीने में दो निर्धारित दिनों पर भुगतान करें ।

(घ) नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बिहार में 7.12 लाख ऋणखातों के अंतर्गत दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि जून 1984 के अंत में 365.61 करोड़ रुपए (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) थी ।

क और ख क्षेत्रों में स्थित राज्यों के साथ राजभाषा में पत्राचार

1065. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
डा. बापू कालदाते :
श्री सुखदेव प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय "क" क्षेत्र में स्थित राज्यों के साथ कब तक समय पत्राचार राजभाषा में करने का विचार रखता है और इस समय इसकी प्रतिशतता क्या है; और

(ख) "ख" क्षेत्र में स्थित राज्यों के साथ कब तक समग्र पत्राचार राजभाषा में किया जायेगा और इस समय इसकी प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) हालांकि इस मंत्रालय का कार्य अत्यन्त तकनीकी किस्म का होने के कारण, "क" और "ख" क्षेत्र के राज्यों के साथ राजभाषा में किए गए पत्राचार का वर्तमान प्रतिशत कम (अर्थात लगभग 21) रहा है, फिर भी विभिन्न प्रोत्साहन योजना तथापि, कोई ऐसी निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है, जिस तक कि "क" और "ख" क्षेत्र के राज्यों के साथ सभी पत्राचार राजभाषा में किया जायेगा ।

हिन्दी सलाहकार समिति

1066. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री सुखदेव प्रसाद :
डा. बापू कालदाते :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें करायी गई ; और

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा कितना प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री बी. शिवशंकर) (क) एक बैठक अगस्त 1985 में हुई थी ।

(ख) 3 अनुभागों में कार्य अब सभी स्तरों पर केवल हिन्दी में हो रहा है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक अनुभाग में 5 फाइलें निर्धारित की जा रही है जिसमें हिन्दी में कार्य किया जाना है ।

Growth of capital market

1067. SHRIMATI MAIMOONA SULTAN:
SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ:
SHRI DHULESHWAR MEENA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any study has been made about the impact of withdrawal of tax exemption on inter-corporate dividend on the process of growth of capital market;

(b) if so, what is the outcome of the study; and

(c) what decision, if any, has been taken in the light thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) No study has been conducted about the impact of withdrawal of tax exemption on inter-corporate dividend on the process of growth of capital market. However, it has been represented by various quarters that withdrawal of tax exemption would adversely affect the availability of resources through inter corporate investments for undertaking expansion programmes or new activities by the industry.

(b) and (c) Government have since withdrawn the proposal to delete section 80M of Income Tax Act.

Pilot Project for child labour

1068. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a pilot project on child labour was prepared by Government sometime back with the assistance of I.L.O. to provide essential and social welfare services for working children and to improve their living conditions besides protecting them from exploitation; and

(b) if so what are the details in this regard and what steps have been taken by Government to implement the programme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) and (b) A pilot programme on child labour to humanize and gradually eliminate child labour was drawn